न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 252/2023
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सन्दीप सिंह पुत्र सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम्

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र मेल सिंह उर्फ मेला सिंह उर्फ गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुखमन्द्र सिंह उर्फ मंदर सिंह पुत्र मेल सिंह उर्फ मेला सिंह उर्फ गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. अर्पणदीप कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह सूच – वकील वादी
2. श्री राजेश बुडानियां – वकील प्रति.सं. 1 ता 3

निर्णय **दिनांक :–** 8.6.2023

वादी सन्दीप सिंह ने प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 05.06.2023 को इस न्यायालय में पेश किया यह कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। यह कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादी व प्रतिवादी सं. 3 का पिता है व प्रतिवादी सं. 2 वादी व प्रतिवादी सं. 3 का ताउ है प्रतिवादी सं. 1 व 2 सगे भाई हैं वादी व प्रतिवादी सं. 3 सगे भाई बहिन हैं। यह कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम चक नं. 2 एनटीडब्ल्यू–एं. के खाता सं. 63/54 ज.सं. 2070–2073 में 1.770 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की विरासतन प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि में वादी का हक व हिस्सा जन्म से बनता है। प्रतिवादी सं. 3 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में

लगातार–2–

8/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर ... (SDO)
शिविर स्थल भगतपुरा

कर दिया हैं। उक्त भूमि का अच्छी मंदी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण ने घरूविभाजन कर लिया है। मुताबिक घरू विभाजन वादी को चक नं. 2 एनटीडब्ल्यू–एं. के खाता सं. 63/54 जं.सं. 2070–2073 में 1.770 है. कृषि भूमि वादी के हिस्सा में आई है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को चक नं. 2 एन.टी.डब्ल्यू–ए जं.सं. 2070–2073 के खाता सं. 28/9 व चक नं. 12 बीजीपी जं.सं. 2073–2076 के खाता सं. 123/14 में हिस्सा में आई है। इसलिए वादी उक्त चक नं. 2 एनटीडब्ल्यू–एं. के खाता सं. 63/54 जं.सं. 2070–2073 में 1.770 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 4 का ज्बाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जमाबन्दी चक नं. 2 एनटीडब्ल्यू–एं. के खाता सं. 63/54 जं.सं. 2070–2073 में 1.770 है. कृषि भूमि व चक नं. 2 एन.टी.डब्ल्यू–ए जं.सं. 2070–2073 के खाता सं. 28/9 व चक नं. 12 बीजीपी जं. सं. 2073–2076 के खाता सं. 123/14 नहरी कृषि भूमि प्रदर्श की गई जो प्रदर्श 1 ता 3 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि वादी को वादी के नाम दर्ज की जावें। क्योंकि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की विरासतन भूमि हैं घरू विभाजन में उक्त भूमि वादी के हिस्सा में आई प्रतिवादी सं. 1 व 2 को चक नं. 2 एन.टी.डब्ल्यू–ए जं.सं. 2070–2073 के खाता सं. 28/9 व चक नं. 12 बीजीपी जं.सं. 2073–2076 के खाता सं. 123/14 में हिस्सा में आई है। इसलिए वादी को चक नं. 2 एनटीडब्ल्यू–एं. के खाता सं. 63/54 जं.सं. 2070–2073 में 1.770 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादीगण के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी की ओर से कुल 1 ता 3 प्रदर्श किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
निर्णय उपखंड (SDO)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज कि चक नं. 2 एनटीडब्ल्यू–एं. के खाता सं. 63/54 जं.सं. 2070–2073 में 1.770 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 8/6/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/6/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थान भगतपुरा

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड, अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 252/2023
वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

सन्दीप सिंह पुत्र सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम्

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र मेल सिंह उर्फ मेला सिंह उर्फ गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुखमन्द्र सिंह उर्फ मंदर सिंह पुत्र मेल सिंह उर्फ मेला सिंह उर्फ गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. अर्पणदीप कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक :– 8.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सिंह सूच वकील वादी व श्री राजेश बुंडानियां वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज कि वादी को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज चक नं. 2 एनटीडब्ल्यू–एं. के खाता सं. 63/54 जं.सं. 2070–2073 में 1.770 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

नोट:– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज.....X.....नल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत.....X.....निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक .....X.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 8/6/2023 जारी किया गया।

8/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं 2023
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
शिविर स्थान भगतपुरा